

Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Introduction of the Consumer Protection (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of Section 2).

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Consumer Protection Act, 2019.”

The motion was adopted.

डॉ. संजय जायसवाल: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।